

## उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर

// आदेश //

कमांक 540/स्था0सैट/2021

जबलपुर दिनांक 18.11.2021

श्रीमती मीनू निगम, सहायक ग्रेड-3 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) खण्डपीठ-इंदौर को विदेश यात्रा (दुबई) जाने हेतु दिनांक 24.11.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

५८-

(पी.के.अग्रवाल)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजलेंस)

कमांक 541/स्था0सैट/2021

जबलपुर दिनांक 18.11.2021

प्रतिलिपि:-

01. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इंदौर को उनके पत्र कमांक प्रशा./167-ए(भाग)2258 इंदौर दिनांक 12.11.2021 के संबध में
02. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट,(एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
03. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर
04. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, (स्था0) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
05. स्था0/लेखा अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर
06. श्रीमती मीनू निगम, सहायक ग्रेड-3 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) खण्डपीठ-इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विवेक संक्सेना)  
रजिस्ट्रार (डी.ई.)

१८